


17⁰¹/₂₃ पत्रावली पैरा 23

तहसीलद्वारा वाली से रिपोर्ट प्राप्त हैकर शामिल पत्रावली
है - चुनी है। कबल प्रती वार-वार आवजों के बावजूद
अनु-। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन
से ज्ञात है कि प्रती द्वारा धारित अर्द्धवरी भूमि का स्क्वा
0-38 हैक्टर है जबकि TDR वाली द्वारा अर्द्ध के लिये
प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल 5236 वर्गमीटर अर्थात् 0-52
हैक्टर के समकक्ष है। इस प्रकार धारित अर्द्धवरी भूमि से
रास्ते के लिये प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने से
अधिक को गैर मुमकिन भावर की भूमि से भी रास्ता
दिया जाना न्यायसंग्र प्रती नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र
प्रती द्वारा 251 A धारित किया जाता है पत्रावली
कैसल शुमार हैक्टर नम्बर से कम है।


500

पुनश्च प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि
प्रभावित रास्ते में अधिकांश स्क्वा राजकीय सिपायक
भूमि का है तथा सिपायक भूमि से आवागमन प्रार्थी
वैध भी कर रहा है। जिससे पृथक से धारा 251A के
तहत रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंग्र नहीं है।
पत्रावली पूर्ववत् कैसल शुमार हैक्टर नम्बर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
वाली, जिला-पाली (राज.)